

आदेश - पत्रक

अ.सं. 211/1314

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक
 जिला से 200

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
1	2	3										
	<p>श्री <u>ए.ए. फिरोज वि.</u></p> <p>वर्ग <u>डेवादिगा सहाय</u> ग्राम <u>काला</u> तालुका <u>क. ए. ए. ए.</u></p> <p>थाना <u>कडम कुला</u> जिला <u>महाराष्ट्र</u></p> <p>के वाला नं० दिनांक <u>4/11/51</u></p> <p>के आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">मौजा का नाम</th> <th style="text-align: left;">तौजो नं०</th> <th style="text-align: left;">खाता नं०</th> <th style="text-align: left;">खसरा</th> <th style="text-align: left;">एराजी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>काजी पुर</u></td> <td></td> <td><u>11</u></td> <td><u>452</u></td> <td><u>1104</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की माँग कर। अभिलेख दिनांक <u>25/11/51</u> को उपस्थित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी अंचल अधिकारी</p> <p>महाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खारिज करने की अनुशांसा किये हैं। फलतः उनके अनुशांसा के आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है शुद्धि पत्र निर्गत करें।</p> <p>लिखया एवं शुद्ध किया।</p> <p>अंचल अधिकारी अंचल अधिकारी</p>	मौजा का नाम	तौजो नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी	<u>काजी पुर</u>		<u>11</u>	<u>452</u>	<u>1104</u>	
मौजा का नाम	तौजो नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी								
<u>काजी पुर</u>		<u>11</u>	<u>452</u>	<u>1104</u>								

प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 25/11/51